प्रपत्र 'ज'

<u>(लोक सूचना पदाधिकारी के द्वारा अपने विभाग के किसी प्रशाखा से मांगी गयी सूचना हेतु)</u>

पत्र संख्याः–**लो.सू.को./आई०डी०सं०–45/25–26** **पटना, दिनांक–** 30/4/25

प्रेषकः

लोक सूचना पदाधिकारी,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–07,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

महाशय,

श्री हनुमान ठाकुर का सूचना आवेदन दिनांक–15.04.2025 जो इस विभाग में दिनांक–24.04.2025 को प्राप्त हुआ है, **(आई०डी०सं०–45/25–26)** इसके साथ संलग्न किया जाता है :–

याचित सूचना आवेदन इस कार्यालय के क्षेत्राधिकार में पड़ता है लेकिन याचित सूचना आपके प्रशाखा से संबंधित है। अतः अधिनियम की धारा–**5 (4)** के आलोक में प्रपत्र–'क' को आपके क्षेत्राधिकार/प्रशाखा से संबंधित सूचना हेतु संलग्न किया जाता है।

विदित हो कि अधिनियम की धारा–**5 (5)** के आलोक में आपके द्वारा ससमय सूचना उपलब्ध कराना आवश्यक है एवं आवेदक को प्रपत्र–'क' विभाग में प्राप्त होने के अधिकतम 30 दिनों के अन्दर सूचना उपलब्ध कराने का प्रावधान है।

अतः एक सप्ताह के अन्दर प्रपत्र–'क' के आलोक में, यदि सूचना शुल्क आवश्यक हो तो आवेदक से शुल्क प्राप्त कर वांछित सूचना **दो सेट में** अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराने की कृपा की जाए।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय।

<u>अनु०–यथोक्त।</u>

विश्वासभाजन,

लोक सूचना पदाधिकारी

ज्ञापांक–2733(E) दिनांक–30/4/25

प्रतिलिपिः **मुख्य अभियंता (संविदा प्रबंधन, नीतिगत मामले एवं लेखा परीक्षा), प्रभारी प्रशाखा–07** पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

लोक सूचना पदाधिकारी

कम्प्यूटरीकृत निर्गत
पंजीयन सं०..............
....
दिनांक-..............

D:\R.T.I. Section-32\Komal-32\R.T.I. FOLDER TILL-2024\praptra.-Ja.docx

लोकसूचना 4510

(1)

अपर सचिव कोषांग
1437 ....
दिनांक 24.4.25
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना

बिहार सूचना का अधिकार नियमावली—2006

प्रपत्र—''क''

(नियम 3(1) देखें)

सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रपत्र

आई.डी.संख्या 45/25-26

(कार्यालय प्रयोग के लिए)

कम्प्यूटरीकृत आवक
पंजीयन संख्या
3992374 (a)
24.04.2025

सेवा में,

लोक सूचना पदाधिकारी — सह — उपर सचिव

(विभाग / कार्यालय) पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना

1. आवेदक का नाम :— हनुमान ठाकुर
2. पुरा पता :— मो॰ बेलवागंज, (लाईटहाउस सिनेमा के पिछे), पोस्ट—लहेरियासराय, जिला—दरभंगा, पिन—846001 (बिहार)
3. मांगी गई सूचना का व्यौरा (संक्षेप में)

अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 7335 (E) दिनांक 23.10.2018 के द्वारा विभाग के दो संकल्प (संख्या 5676 (S) दिनांक 24.06.2015 एवं 5931 (S) दिनांक 01.07.2015) पर रोक लगाया गया है, तो उक्त विभागिय पत्र का उलंघन करते हुए किस नियम के द्वारा 10 लाख से उपर की निविदा का प्रकाशन e-Tendering के माध्यम से नही कई प्रमण्डल के द्वारा स्थानीय प्रचार-प्रसार व समाचार पत्र के माध्यम से किये जाने सम्बन्धित नियम / पत्र की सत्यापित प्रति उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

4. मैं एतद् द्वारा घोषित करता हूँ / करता हूँ कि मेरी पुरी जानकारी में मांगी गई सूचना, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8 एवं 9 के अन्तर्गत मुक्त नहीं है। यह आपके विभार्ग, कार्यालय से संबंदित है।
5. 1. मैंने 10.00 रू॰ (शब्दों में) दस रू॰ का पोस्टल ऑर्डन दिनांक 28.03.2025 को रसीद संख्या 64F 875698 से विभाग / कार्यालय में भुगतान किया।
   2. मैं गरीबी रेखा से नीचे परिवार का हूँ। मेरा कार्ड / वांछित सर्टिफिकेट की छाया प्रति संलग्न है।

आवेदक का हस्ताक्षर हनुमान

स्थान :— लहेरियासराय

ई—मेल पता, अगर कोई हो :— hanuman.t@rediffmail.com

दूरभाष संख्या (कार्यालय) :— 9122838630

दिनांक :— 15/04/25

(आवास)

आवेदक का पत्राचार का पुरा पता :— मो॰ बेलवागंज, (लाईटहाउस सिनेमा के पिछे), पोस्ट—लहेरियासराय, जिला—दरभंगा, पिन—846001

कुमार सोनल
30.04.25

बिहार सरकार
पथ निर्माण विभाग

पत्रांक–प्र०–7/सू0 अ0–06–13/2025– 3196(E)We /पटना, दिनांक 21/05/2025

प्रेषक,

सहायक लोक सूचना पदाधिकारी
–सह–प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–7
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

लोक सूचना पदाधिकारी,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

विषय :– **श्री हनुमान ठाकुर का सूचना आवेदन दिनांक–15.04.2025 (आई0डी0सं0–45/25–26) के संबंध में।**

प्रसंग :– **आपका पत्रांक–2733 (E)We दिनांक–30.04.2025**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र से उपलब्ध कराये गये सूचना आवेदन से मांगी गयी सूचना केन्द्रीय सूचना आयोग के निर्णय (क्रम सं0–10–एफ सं0–सी.आई.सी./ए.टी./ए./2006 00045, दिनांक–21.04.2006) के अन्तर्गत देय नहीं है।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन

21.5.25

सहायक लोक सूचना पदाधिकारी
–सह–प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–7
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

D:\Neha Sinha\2012 ka New Folder\Soni Priya\Suchna ka Adhikar Letter.docx

8. सूचनार्थी को लोक सूचना पदाधिकारी से उनका अभिमत, स्पष्टीकरण एवं व्याख्या की माँग करने का अधिकार नहीं ।

राजीव गुप्ता ने लोक सूचना पदाधिकारी, महानिदेशक, विदेश व्यापार कार्यालय (एम/वाणिज्य)से निर्यात लाभ की वसूली आदि से संबंधित सूचना की माँग की ।

न्यायादेश

आयोग ने यह पाया कि अपीलकर्त्ता ने वस्तुतः सामग्री के रूप में सूचना नहीं माँगी है । अभिमत, स्पष्टीकरण आदि से संबंधित सूचना जो लोक सूचना पदाधिकारी के पास सामग्री के रूप में उपलब्ध नहीं है और जो दरअसल सूचना की श्रेणी में नहीं आती है, की माँग करने का अधिकार अपीलकर्त्ता को कतई प्राप्त नहीं है । इस सिलसिले में सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 2(च), 2(झ) और 2(ञ) का संयुक्त रूप से पठन करने से इस बात की जानकारी हासिल होती है कि ''किसी रूप में कोई सामग्री'' ही सूचना की श्रेणी में है और इससे भिन्न किसी भी प्रकार की सूचना माँगने का अधिकार नागरिकों को नहीं है ।

वर्णित न्याय-निर्णय में अधिनियम की धारा-2(च), 2(झ) और 2(ञ) की स्पष्ट विवेचना एवं विश्लेषण निहित है ।

(अपील संख्या 151/आई.सी.पी.बी./2006,एफ संख्या पी.बी.ए./06/232 दिनांक 06 नवम्बर,2006)

9. ''हाँ'' या ''ना'' में पूछे गये प्रश्नों का कोई कानूनी प्रावधान नहीं है ।

ए. एक्स. एस. जीवन ने अपने एक सहकर्मी के वेतन भुगतान एवं अवकाश की स्वीकृति के बारे में प्रश्न पूछते हुये लोक सूचना पदाधिकारी, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क सुरा/कमिश्नरी, गुजरात से 'हाँ' या 'ना' में उत्तर देने का अनुरोध किया ।

न्यायादेश

आयोग ने धारित किया कि अधिनियम के प्रावधान के आलोक में '' हाँ '' या '' ना '' में सूचना नहीं दी जा सकती है, क्योंकि इस प्रकार की सूचना धारा-2(च) के अन्तर्गत अनुरोधकर्त्ता के पहुँच योग्य नहीं है।

विभिन्न मामलों में पूर्वादेशों में सूचना की व्याख्या एवं विवेचना की गयी है । वर्त्तमान मामले में इसी प्रकार ''हाँ'' या ''ना'' के रूप में सामग्री नहीं होने की वजह से खारिज किया गया ।

(अपील संख्या20/आई.सी.(ए.)/2006,एफ संख्या 11/97/2006 सी.आई.सी., दिनांक 29 मार्च,2006)

10, लोक सूचना पदाधिकारी को क्यों, क्या, कब आदि के माध्यम से पूछे गये प्रश्नों का उत्तर देने की बाध्यता नहीं ।

डॉ. डी. वी. राव ने क्यों, क्या, कब, आदि उपसर्गों के माध्यम से लोक सूचना पदाधिकारी, विधि कार्य विभाग से अनेक प्रश्न पूछे ।

न्यायादेश

अयोग ने अपने न्याय-निर्णय में यह उल्लेख किया कि सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 2(च) के अधीन उन्हीं कोटियों की सूचना दी जा सकती है जिन्हें इस धारा में अंकित किया गया है। आयोग ने इस तथ्य को भी स्पष्ट किया कि अपीलकर्त्ता को लोक सूचना पदाधिकारी से उनके कृत्यों की प्रकृति एवं गुणवत्ता के बारे में प्रश्न पुछने का अधिकार प्राप्त नहीं है।

इस न्याय निर्णय से यह विदित होता है कि प्रासंगिक धारा के अन्तर्गत आवेदक लोक सूचना पदाधिकारी से वही प्रश्न पूछ सकता है जो सामग्री के रूप में उनके पास उपलब्ध हो । लोक सूचना पदाधिकारी के कार्यों के बारे में प्रश्न पूछना सूचना की श्रेणी में नहीं आता है। अतः इस मामले में अपीलकर्त्ता को सूचना प्रदान किये जाने से इंकार करना नियमसंगत है।

(एफ. संख्या सी.आई.सी./ए.टी./ए./2006/00045, दिनांक 21 अप्रैल, 2006)

11. अधिनियम में व्यक्तिगत सूचना देने का प्रावधान नहीं

जी. आर. पथराबे ने अपने विरूद्ध संचालित अनुशासनिक कार्यवाही से संबंधित कतिपय बिन्दुओं पर लोक सूचना पदाधिकारी, संघ लोक सेवा आयोग के व्यक्तिगत मंतव्य की माँग की थी।

प्रपत्र 'घ'

(सूचना उपलब्ध कराना)

(नियम 4 (1) देखें)

बिहार सरकार

पथ निर्माण विभाग

पत्र संख्याः–**लो.सू.को./आई०डी०सं०–45/25–26** 3265(E) **पटना, दिनांक**–23.05.2025

प्रेषक,

लोक सूचना पदाधिकारी,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

स्पीड पोस्ट सेवा में,

श्री हनुमान ठाकुर,
मो०–बेलवागंज, (लाईटहाउस सिनेमा के पिछे),
पो०–लहेरियासराय, जिला–दरभंगा,
पिन–846001
मो०–9122838630

महाशय,

यह आपके सूचना आवेदन दिनांक–15.04.2025 जो इस विभाग में दिनांक–24.04.2025, को प्राप्त हुआ है, **(आई०डी०सं०–45/25–26)** में देय/अदेय सूचना के संबंध में है :–

2. याचित सूचना संबंधी प्रतिवेदन **प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–07**, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–3196 (E)we दिनांक–22.05.2025 से प्राप्त है, को संलग्न किया जाता है।

अनु०–यथोक्त।

विश्वासभाजन,

लोक सूचना पदाधिकारी

ज्ञापांक–3265(E)

पटना, दिनांक–23.05.2025

प्रतिलिपिः प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–07, पथ निर्माण विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

लोक सूचना पदाधिकारी

कम्प्यूटरीकृत निर्गत
पंजीयन सं०..................
दिनांक